न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं० 18/15 तारीख रजू 6.4.15

उनवान – रामदयाल बनाम गिर्राज वगैरा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं
स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार सिंघल Adv. ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को सम्मन से तलब कर दिनांक 11-5-15 को पेश हो। 581-88 6.4.15

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

11/5/15 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 7 की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट ने मीमो पेश किया। प्रतिवादी नं० 8 की [illegible] तामील उपस्थित नहीं। इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं० 2 लगायत 6 की नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्तजार नोटिस तलबी दिनांक 19-6-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

4.12.19 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कराई। वास्ते बहस दिनांक 18.12.19 को पेश हो।

18.12.19 वकील उभयपक्ष उप०। बहस वास्ते समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 10.1.20 को पेश हो।

10.1.20 वकुलाय अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी करौली मीटिंग में पधारे हैं। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27.1.20 को पेश हो।

27.1.20 वकुलाय उप०। वास्ते बहस दिनांक 31.1.20 को पेश हो।

31.1.20 वकुलाय उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया कि सक्षम न्यायालय में नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए यह दावा विड्रो करने की अनुमति फरमावें। वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने कोई एतराज दर्ज नहीं कराया। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है नया दावा पेश करने की इजाजत के साथ यह दावा विड्रो करने की अनुमति दी जाती है तथा वादी का दावा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:19:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: